संख्या- 11/2015/375/अड़तीस-5-2015-22सम/2013

प्रेषक,

अरुण सिंघल
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 28 अप्रैल, 2015

विषयः- पेयजल की समस्या के त्वरित निदान हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति विकास खण्ड 50-50 इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्प की रिबोरिंग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल स्रोतों के सूखने/जल स्तर नीचे गिर जाने के कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न होने की आशंका के दृष्टिगत प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या के त्वरित निदान हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्रति विकास खण्ड 50 की दर से हैण्डपम्पों के रिबोर कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उपर्युक्तानुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में हैण्डपम्पों की रिबोरिंग राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में मा0 संसद सदस्य / मा0 विधान सभा/ विधान परिषद सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के रिबोरिंग सम्बन्धी प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर परीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4- इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्पों के रिबोरिंग का कार्य जनपदवार उत्तर प्रदेश जल निगम एवं यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0 के मध्य 90:10 के अनुपात में शासनादेश संख्या-7481/38-5-2001-653/95, दिनांक 16 अक्टूबर, 2001 के अनुसार कराया जायेगा। तद्नुसार उसी सीमा तक बजट एवं स्थान की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

5- यदि किसी विकास खण्ड में रिवोर योग्य हैण्डपम्प 50 से कम हों तो जिन विकास खण्डों में 50 से अधिक हैण्डपम्प रिबोर योग्य हो, उन विकास खण्डों में 50 से अधिक हैण्डपम्पों की रिबोरिंग करायी जा सकती है। इस हेतु आवश्यक समायोजन हेतु जनपद के जिलाधिकारी को अधिकृत किया जाता है।

भवदीय,

(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव

संख्याः11/2015/375 (1)/अड़तीस-5-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री , उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ग्राम्य विकास विभाग।
3. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0 लखनऊ।
9. निदेशक, एन0आई0सी, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत पत्र ई-मेल के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों को शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।